निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 पौष 1934 (श0)

(सं0 पटना 54) पटना, शुक्रवार, 4 जनवरी 2013

गृह विभाग

———

अधिसूचनाएं

26 दिसम्बर 2012

सं0 5629—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल राज्य अवस्थित काराओं में सहायक कारापाल के पदों पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।** –(i) यह नियमावली 'बिहार सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली, 2012' कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ।** – जब तक कोई बात संदर्भ में विरूद्ध न हो, इस नियमावली में–

(i) ''सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ii) ''सरकार के आदेश'' से अभिप्रेत है भारत संविधान के अनुच्छेद 166 के अधीन बनायी गयी कार्यपालिका नियमावली में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पारित कार्यपालक आदेश;

(iii) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है कारा महानिरीक्षक, बिहार;

(iv) ''नियंत्री प्राधिकार'' से अभिप्रेत है कारा महानिरीक्षक, बिहार;

(v) ''विभाग'' से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली में यथाविनिर्दिष्ट गृह विभाग;

(vi) ''सामान्य प्रशासन विभाग'' से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली में यथाविनिर्दिष्ट सामान्य प्रशासन विभाग;

(vii) ''कारा निरीक्षणालय'' से अभिप्रेत है कारा महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार;

(viii) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(ix) ''सहायक कारापाल'' से अभिप्रेत है बिहार की काराओं में सहायक कारापाल के सृजित एवं मंजूर पद; तथा

(x) ''प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति'' से अभिप्रेत है मुख्य उच्च कक्षपाल पद से सरकार द्वारा समय–समय पर विनिश्चित प्रतिशत के आधार पर एवं इस नियमावली में यथास्थान उल्लिखित प्रोन्नति द्वारा की गई नियुक्ति।

3. **संवर्ग का गठन।** – इस संवर्ग में प्रत्येक सोपान के पदों की संख्या तथा उनकी कुल संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा मंजूर/विनिश्चित की गई हो तथा भविष्य में सरकार द्वारा समय–समय पर मंजूर अथवा अधिसूचित की जाय।

4. **आरक्षण।** – बिहार राज्य आरक्षण अधिनियम के समय–समय पर यथा लागू प्रावधान इन सभी भर्ती एवं प्रोन्नति पर प्रभावी होंगे। भर्त्ती तथा प्रोन्नति का लाभ केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी को देय होगा।

5 **भर्ती।** – (1) राज्य अवस्थित काराओं में ''सहायक कारापाल'' के पद पर, समय–समय पर, विहित निर्धारित वेतनमान में नियुक्ति की जाएगी।

(2) कुल पदबल के विरूद्ध 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा एवं 30 प्रतिशत पद पर पूर्व सैनिकों से भर्ती द्वारा एवं 20 प्रतिशत पद पर मुख्य उच्च कक्षपाल की प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की जायेगी।

6. **अर्हता।** – (1) **शैक्षणिक अर्हता**– स्नातक उतीर्ण, जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो (सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति, दोनों के लिये)।

(2) **आयु**:– सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा, निम्नवत् अथवा समय–समय पर जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय, होगीः–

(क) सामान्य कोटि (पुरूष)	– 20 से 37 वर्ष
(ख) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)	– 20 से 40 वर्ष
(ग) महिला (अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	– 20 से 40 वर्ष
(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	– 20 से 42 वर्ष

स्पष्टीकरण:–अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के उम्मीदवारों की गणना सामान्य कोटि के उम्मीदवार के रूप में की जायेगी एवं तदनुरूप उनके लिये आयु सीमा वही होगी जो सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए लागू हो।

7. **नियुक्ति के आधार एवं पद्धति।** – सहायक कारापाल के पद पर नियुक्ति के तीन स्त्रोत होंगेः–

1. आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती;
2. पूर्व सैनिकों से नियुक्ति;
3. मुख्य उच्च कक्षपाल पद से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति।

(i) 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से की जायेगी।

(ii) 30 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति पूर्व सैनिकों से की जायेगी।

(iii) 20 प्रतिशत पदों पर राज्य के विभिन्न स्तर के काराओं में मुख्य उच्च कक्षपाल पद पर कार्यरत कार्मिकों की सूची से सेवा इतिहास, चिकित्सा परीक्षण एवं वरीयता क्रम के आधार पर की जायेगी।

स्पष्टीकरण।–यदि कंडिका ''(ii)'' में उल्लिखित पूर्व सैनिकों के निर्धारित 30 प्रतिशत पदों में से निर्धारित संख्या में अभ्यर्थी किसी पंचांग वर्ष में नहीं मिलते हैं तो उन पदों को कंडिका ''(i)'' के अनुसार सीधी भर्ती से उस पंचांग (कैलेंडर) वर्ष में भरा जा सकेगा।

1. आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती। –(i) सहायक कारापाल के राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर मंजूर एवं सृजित पदों में से 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे। इन पदों पर सीधी भर्ती आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी। आयोग कारा निरीक्षणालय से रिक्तियों से संबंधित सूचना प्राप्त होने के उपरांत विहित प्रक्रियानुसार एक विज्ञापन प्रकाशित करेगा।

(ii) **सीधी भर्ती हेतु प्रक्रिया**–सीधी भर्ती हेतु प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में होंगे :–

(क) प्रथम चरण–सर्वप्रथम लिखित परीक्षा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी।

(ख) द्वितीय चरण–शारीरिक योग्यता जाँच, विहित प्रावधानों के अधीन गठित बोर्ड द्वारा की जायेगी।

(ग) तृतीय चरण–चिकित्सा परीक्षण–कारा महानिरीक्षक द्वारा निर्देशित किसी चिकित्सा संस्थान या उनके द्वारा गठित चिकित्सा दल द्वारा की जायेगी। चिकित्सा दल में एक महिला चिकित्सक का रहना अनिवार्य होगा।

अंतिम रूप से चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक योग्यता जाँच एवं चिकित्सा परीक्षण के आधार पर किया जायेगा।

सीधी भर्ती, शारीरिक योग्यता जाँच एवं चिकित्सा परीक्षण हेतु विस्तृत अनुदेश परिशिष्ट–'क' में उल्लिखित हैं।

(iii) संसूचित रिक्तियों के कोटिवार पाँच गुणा अभ्यर्थियों की सूची आयोग द्वारा शारीरिक योग्यता जाँच हेतु तैयार की जायेगी। शारीरिक योग्यता जाँच निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर गठित एक बोर्ड द्वारा ली जायेगी :–

(क) कारा महानिरीक्षक –अध्यक्ष

(ख) संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0) –सदस्य
(ग) गृह विभाग के प्रतिनिधि (उप–सचिव से अन्यून पंक्ति) –सदस्य
(घ) गृह विभाग के द्वारा मनोनीत बिहार कारा सेवा के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के पदाधिकारी –सदस्य
(ड.) कमांडिग ऑफिसर, झारखंड–बिहार सब एरिया मुख्यालय दानापुर के द्वारा अधिकृत लेफ्टीनेन्ट कर्नल (सिर्फ सेना के सेवानिवृत्त जुनियर कमिशन्ड ऑफिसर/नन कमिशन्ड ऑफिसर में से नियुक्ति हेतु में कंडिका–III (ड.) के पदाधिकारी इस समिति के सदस्य होगें) –विशेष आमंत्रित सदस्य

शारीरिक योग्यता जाँच के स्तर परिशिष्ट 'क' में दिये गये हैं।

(iv) शारीरिक योग्यता जाँच मात्र अर्हक (क्वालिफाईंग) होगी तथा शारीरिक योग्यता जाँच में सफल होने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा की मेघा सूची के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जायेगा।

(v) यदि रिक्तियों के पाँच गुणा अभ्यर्थियों की सूची में से रिक्तियों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थी शारीरिक योग्यता जाँच अथवा चिकित्सा परीक्षण में सफल नहीं होते हैं तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पुनः शेष रिक्तियों के पाँच गुणा उम्मीदवारों की सूची बनायी जायेगी तथा उपरोक्त प्रक्रिया पुनः अपनायी जायेगी।

(vi) चिकित्सा परीक्षण– शारीरिक योग्यता जाँच में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षण के अधीन होंगे। उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन परिशिष्ट 'क' में दिये गये मानकों के अनुसार किया जायेगा एवं अभ्यर्थियों के स्वस्थ्य होने पर ही नियुक्ति की जायेगी।

नियुक्ति प्राधिकार को चिकित्सा परीक्षण की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, आयोग की अनुशंसा सूची के किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को मंजूर या नामंजूर करने की अधिकारिता होगी।

2. पूर्व सैनिकों से नियुक्ति। –(i) 30% पदों पर नियुक्ति सेना के सेवानिवृत्त कर्मियों से आवेदन आमंत्रित करके की जायेगी।

(ii) सेना के सेवानिवृत्त जुनियर कमिशन्ड ऑफिसर्स/नॉन कमिशन्ड ऑफिसर्स में से नियुक्ति की जायेगी।

(iii) इस श्रेणी से नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

(iv) पूर्व सैनिकों से नियुक्ति हेतु आवेदन कारा निरीक्षणालय द्वारा विज्ञापन देकर मांगे जायेंगे। प्राप्त आवेदनों की विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नियमानुसार छानबीन एवं छटाई करते हुए उनकी संख्या के आधार पर लिखित परीक्षा यदि, आवश्यक हुई तो, आवश्यकतानुसार कारा महानिरीक्षक द्वारा निर्धारित कर आयोजित की जा सकेगी। चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण किया जायेगा तथा स्वस्थ होने पर ही नियुक्ति की जायेगी।

3. मुख्य उच्च कक्षपाल पद से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति। –(i) 20% पदों पर नियुक्ति मुख्य उच्च कक्षपाल के पद पर कार्यरत कार्मिकों में से सेवा इतिहास, चिकित्सा परीक्षण एवं वरीयता के आधार पर की जायेगी।

(ii) मुख्य उच्च कक्षपाल के पद से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता स्नातक उत्तीर्ण होगी।

(ii) बिहार आरक्षण अधिनियम के समय–समय पर लागू प्रावधान प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर लागू होंगे और इसका लाभ केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासियों को ही देय होगा।

8. **परिवीक्षा अवधि।** – इस पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से नवनियुक्त कर्मियों के लिये परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर पदधारी को सेवा से हटाया जा सकेगा।

9. **सम्पुष्टि।** – परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद होने एवं विभागीय परीक्षा में सफल होने के उपरांत कारा महानिरीक्षक द्वारा सेवा संपुष्ट की जायेगी।

10. **वेतनमान।** – राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित संवर्ग के लिए विहित वेतनमान एवं तदनुसार अन्य भत्ते अनुमान्य होंगे।

11. **वरीयता।** – (i) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सहायक कारापालों की वरीयता आयोग द्वारा निर्गत मेधा सूची के आधार पर निश्चित की जायेगी।

(ii) प्रोन्नति द्वारा नियुक्त सहायक कारापाल की वरीयता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित किये गये प्रावधानों के अनुसार निश्चित की जायेगी।

12. **संवर्ग की प्रास्थिति।** – राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, निर्गत वर्गीकरण के अनुसार, यह संवर्ग समूह 'ग' या अन्यथा का होगा। यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा।

13. **अनुशासन, अपील एवं शास्तियाँ।** – इस संवर्ग के सभी सदस्यों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान लागू होंगे।

14. **निरसन एवं व्यावृति।** – (1) इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि के पूर्व सहायक कारापाल संवर्ग एवं पद हेतु अधिसूचित बिहार सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली–2010 एवं लागू सभी नियम/संकल्प/परिपत्र/आदेश निरसित समझे जायेंगे।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावलियों/संकल्पों/परिपत्रों एवं आदेशों के अधीन या द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया था की गई समझी जायेगी मानों यह नियमावली उस दिन प्रवर्तन में थी जब वैसा किया गया था या वैसी कार्रवाई की गयी थी ।

15. **कठिनाईयों को दूर किया जाना।** –इस नियमावली के किसी भी प्रावधान या नियम को लागू करने के संबंध में उद्भुत कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति, सरकार के अनुमोदन से, कारा निरीक्षणालय को होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

लक्ष्मी प्रसाद चौहान,

सयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

परिशिष्ट'क'

सहायक कारापाल हेतु आयोग एक परीक्षा आयोजित करेगा जिसमें रिक्तियों के अनुपात में मेघा क्रम के अनुसार सूची तैयार की जायेगी तथा सहायक कारापाल के पद हेतु उम्मीदवारों की अनुशंसा भेजेगी।

आयोग परीक्षा संचालित कर लेने के बाद अभ्यर्थिता के आधार पर आरक्षणवार सहायक कारापाल की सूची तैयार करेगा और शारीरिक जाँच हेतु गठित बोर्ड को भेज देगा।

(क) लिखित परीक्षा। –

(i) लिखित परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी।

(ii) प्रश्न पत्र द्विभाषी (हिन्दी और अंग्रेजी) और वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा।

(iii) प्रश्न पत्र की संख्या तीन होगी।

(क) प्रथम प्रश्न पत्र– इसमें दो खंड होंगे अर्थात अंग्रेजी और गणित।
यह प्रश्न पत्र अनिवार्य एवं इसका स्तर मैट्रिक स्तरीय होगा तथा प्रश्नों की संख्या स्वरूप एवं समयावधि आयोग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ख) द्वितीय प्रश्न पत्र– इसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जायेंगे, जो स्नातक स्तर के होंगे।

(ग) तृतीय प्रश्न पत्र– यह प्रश्न पत्र वैकल्पिक होगा जिसमें समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान दोनों विषयों में आयोग परीक्षा लेगा। उम्मीदवार उक्त दोनों विषयों में से किसी एक विषय का विकल्प तृतीय प्रश्न पत्र के रूप में दे सकेगा। विकल्प का उल्लेख आवेदन में आवेदक द्वारा कर दिया जायेगा।

(iv) प्रश्नों की संख्या, स्वरूप एवं समयावधि आयोग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(v) परन्तु, गृह विभाग की सहमति से यदि प्रशासनिक कारणों से आयोग अन्य सेवाओं के साथ संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन करने का निर्णय ले तो, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विहित पाठ्यक्रम ही इस पद के लिए भी चयन हेतु विहित पाठ्यक्रम माना जायेगा।

(vi) आयोग लिखित परीक्षा के आधार पर अधिसूचित कोटिवार रिक्तियों के पांच गुणा अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और उसे शारीरिक जांच हेतु कारा महानिरीक्षक, बिहार को भेज देगा।

(ख) शारीरिक योग्यता –

1. आयोग द्वारा रिक्तियों के विरूद्ध कोटिवार अनुशंसित उम्मीदवारों की शारीरिक योग्यता की जाँच बोर्ड द्वारा ली जायेगी । उम्मीदवारों के लिए विहित शारीरिक मानकों के अनुसार योग्य होना आवश्यक है।

2. **बोर्ड के समक्ष शारीरिक योग्यता जाँच के मानकः–**

(i) उम्मीदवार को शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा उन्हें ऐसी बीमारी/अशक्तता से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कुशलतापूर्वक कार्य करने में बाधा पड़ सकती हो।

(ii) उनमें कमजोर शारीरिक गठन, दैहिक दोष की स्थूलता नहीं होनी चाहिए और घुटने जुड़ना–नॉकिंग नी एवं चपटे तलवे–फ्लैट फुट नहीं होनी चाहिए।

(iii) पुरूषों का कद (सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए) कम से कम 165 से.मी. तथा अनु0जाति/जन जाति–160 से.मी. हो।

(iv) महिला अभ्यर्थियों की ऊँचाई न्यूनतम 160 से.मी. तथा वजन न्यूनतम 48 किलोग्राम होना चाहिए।

(v) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि शारीरिक योग्यता परीक्षा हेतु रिपोर्ट करने से पहले कान की मैल, ऑखों के अपवर्तन दोष, त्वचा आदि के कवकी संक्रमण के लिए प्रारंभिक चिकित्सा जॉच अपने स्तर से करवा लें।

(vi) छाती भली प्रकार विकसित होनी चाहिए तथा न्यूनतम माप 81 से.मी. होनी चाहिए तथा अनु0जाति/जन जाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम माप 79 से.मी. होनी चाहिए। पूरा सांस लेने के बाद सीना का फुलाव न्यूनतम 86 से.मी. तथा अनु0जाति/जन जाति के अभ्यर्थियों का 84 से.मी.

होना चाहिए। माप इस तरह फीता लगाकर की जाएगी कि इसका निचला किनारा सामने चूचक से लगा रहे और फीते का ऊपरी भाग पीछे स्कंध फलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोण (लोअर एंगिल) को छूते रहना चाहिए।

(vii) दौड़ – 6 मिनट के अन्दर 1 मील

(viii) ऊँची कूद – न्यूनतम 4 फीट (सभी पुरूष उम्मीदवारों के लिए)

(ix) लम्बी कूद – न्यूनतम 12 फीट (सभी पुरूष उम्मीदवारों के लिए)

(x) बीम–5 पुल अप (तीन अवसर दिये जायेंगे)–(सभी पुरूष उम्मीदवारों के लिए)

(xi) गोला फेंक 16 पौंड–न्यूनतम 16 फीट– (सभी पुरूष उम्मीदवारों के लिए)

शारीरिक योग्यता जाँच मात्र योग्यता प्रदायी (क्वालिफाईंग) होगी।

(ग) चिकित्सा परीक्षण –

1. सीधी भर्ती हेतु –

(i) उम्मीदवार को घुटने जुड़ना–(नॉकिंग नी) एवं चपटे तलवे (पलैट फुट) के लक्षण नहीं होनी चाहिए।

(ii) उम्मीदवार सामान्य रूप से सुन सके, उम्मीदवार को इस योग्य होना चाहिए कि वह शांत कमरे में प्रत्येक कान से 6′10′′ की दूरी से जोर की कानाफूसी सुन सके।

(iii) यदि किसी उम्मीदवार को हर्निया/हाइड्रोसील हो तो शल्य चिकित्सा के पश्चात् ही उनकी उम्मीदवारी योग्य समझी जाएगी।

(iv) उम्मीदवारों को आँखो की कोई गंभीर बीमारी नही हो। नेत्रों की दृष्टि चश्मा सहित या चश्मा रहित 6/6 होनी चाहिए रात्रि अंधता या वर्णाध (कलर ब्लाईनेस) नहीं होनी चाहिए।

2. पूर्व सैनिकों से नियुक्ति एवं मुख्य उच्च कक्षपाल से सहायक कारापाल के पद पर नियुक्ति हेतु चिकित्सा परीक्षण के मानक –

(i) उम्मीदवार को घुटने जुड़ना (नॉकिंग नी) एवं चपटे तलवे (पलैट फुट) की लक्षण नहीं होनी चाहिए।

(ii) उम्मीदवार सामान्य रूप से सुन सके एवं श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) का प्रयोग करने की बाध्यता न हो।

(iii) यदि किसी उम्मीदवार को हर्निया/हाइड्रोसील हो तो शल्य चिकित्सा के पश्चात् ही उनकी उम्मीदवारी योग्य समझी जाएगी।

(iv) उम्मीदवारों को आँखो की कोई गंभीर बीमारी नही हो। नेत्रों की दृष्टि चश्मा सहित या चश्मा रहित 6/6 होनी चाहिए रात्रि अंधता या वर्णाध (कलर ब्लाईडनेस) नहीं होनी चाहिए।

(घ) भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के संबंध में प्रावधान :–

भूतपूर्व सैनिक शब्द से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौ सेना एवं वायु सेना में (चाहे काम्बेटेंट या नन काम्बेटेंट के रूप में) किसी भी रैंक में सेवा की हो परन्तु इसमें वे व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जिसने रक्षा सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियरी फोर्स, लोक सहायक सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों में सेवा की हो और

(i) जो अपनी पेंशन प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त हो चुके है या

(ii) जो मिलिट्री सेवा के लिए लागू स्वास्थ्य मानकों के आधार पर अथवा अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों में ऐसी सेवा से मुक्त किया जा चुका है और उसे चिकित्सा अथवा अशक्तता पेंशन प्रदान की जा चुकी है, या

(iii) जिन्हे सेवा कम किये जाने के फलस्वरूप ऐसी सेवाओं से अपने अनुरोध से अन्यथा मुक्त कर दिया गया है, या

(iv) स्वयं के अनुरोध पर अथवा दुर्व्यवहार या अप्रवीणता के कारण वर्खास्तगी या डिस्चार्ज से अन्यथा जिन्हें सेवा शर्तो की अवधिपूर्ण करने पर ऐसी सेवा से सेवामुक्त किए जा चुके है; और उन्हें उपदान प्रदान किया गया है तथा इनमें प्रादेशिक सेना की निम्न कोटियों के कार्मिक सम्मिलित है :–

(i) लगातार सम्मिलित सेवा के लिए पेंशनधारी,

(ii) मिलिट्री सेवा के मानको के आधार पर अशक्तता पेंशन भोगी और

(iii) वीरता पुरस्कार विजेता।

(संघ के सशस्त्रबलों में कार्यरत व्यक्तियों को, जो सेवानिवृत्ति के उपरांत भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आ जायेंगे, सेवा में निर्धारित अवधि पूर्ण करने के एक साल पहले पुनर्नियोजन हेतु आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है और वे भूवपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध रियायतों का लाभ उठा सकते है किन्तु उन्हें संघ के सशस्त्र बलों में निर्धारित सेवा की अवधि को पूर्ण करने से पहले सेवामुक्त होने की अनुमति नहीं दिये जायेंगे)

(v) संबंधित पदों हेतु विज्ञापित आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व मिलिट्री सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले सेवारत कर्मचारी उक्त विज्ञापन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगें।

(vi) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो मैट्रिकुलेट है पर 15 वर्ष तक लगातार सशस्त्र सेना में सेवा कर चुके है ऐसे पदों के लिए भी योग्य समझे जायेंगे जिनकी वांछित योग्यता विश्वविद्यालय की डिग्री है तथा उन्हें इस आशय का सेना से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vii) भूतपूर्व सैनिक के लिए उपरी आयु सीमा में शिथिलता उनके द्वारा रक्षा सेवा में की गई सेवा की अवधि से 3 वर्ष या अधिक तक के लिए होगी, यदि उन्होंने सेना में न्यूनतम 6 माह की सत्यापित सेवा की हो।

(viii) भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल चिकित्सा परीक्षण में शामिल होने की अनिवार्यता होगी तथा उन्हें शारीरिक योग्यता परीक्षा एवं शैक्षणिक योग्यता में कुल छूट देय होगी।

(ix) पूर्व सैनिकों से भर्ती हेतु आवेदन कारा निरीक्षणालय द्वारा विज्ञापन देकर आमंत्रित किये जायेंगे। उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकार अपने स्वविवेक से एक स्क्रिनिंग टेस्ट (लिखित परीक्षा) आयोजित करेंगे। जिसके माध्यम से उम्मीदवारों में से उपयुक्त उम्मीदवार का चयन किया जायेगा। लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें गणित, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिन्दी विषय से प्रश्न होंगे।

(x) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में पूर्व सैनिकों के (केन्द्रीय सिविल सेवा में तथा पदों की) पुनः नौकरी नियम, 1979 के प्रावधानों के तहत ही नियुक्ति संबंध दावे की अनुमान्यता होगी।

The 26th December 2012

No. 5629—**In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar makes the following rules to regulate the appointment to the posts of Assistant Jailors in Jails situated in the State of Bihar and their service conditions:-**

1. **Short title, extent and commencement.—(i)** These Rules may be called the Bihar Assistant Jailor Cadre Rules, 2012.
   (ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
   (iii) It shall come into force with immediate effect.

2. **Definitions : Unless there in anything repugnant to the context, in these Rules-**
   (i) **"Government"** means the Government of Bihar;
   (ii) **'Order of the Government'** means the executive order issued under the powers conferred in the Rules of Executive Business made under article 166 of the Constitution of India;
   (iii) **'Appointing authority'** means the Inspector General of Jail, Bihar;
   (iv) **'Controlling authority'** means the Inspector General of Jail, Bihar;
   (v) **'Department'** means the Home Department as specified in the Rules of Executive Business;
   (vi) **"General Administration Department"** means the General Administration Department as specified in Rules of Executive Business;
   (vii) **"Inspectorate of jails"** means the office of Inspector General of Jail, Bihar;
   (viii) **"Commission"** Means Bihar Staff Selection Commission;
   (ix) **"Assistant Jailor"** means the sanctioned and created post of Assistant Jailor in the Jails of Bihar; and
   (x) **"Appointment by promotion"** means the appointment made by promotion from the post of chief head warder as mentioned in these Rules at appropriate place and on the basis of the percentage determined from time to time by the Government.

3. **Constitution of the cadre.—**The number of posts of every ladder in this cadre and their total number shall be such number as have been sanctioned/ determined by the Government and as may be sanctioned or notified by the Government from time to time in future.

4. **Reservation.—**The provisions of the Bihar State Reservation Act enforced from time to time shall be applicable in all these recruitments and promotions and its benefits to be admissible to the permanent residents of Bihar only.

5. **Recruitment.—(1)** Appointments shall be made on the posts of 'Assistant Jailor' in the Jails located in the state from time to time in the prescribed pay scale.

(2) Against total strength, 50% posts to be filled by direct recruitment 30% posts by appointment frome Ex-servicemen and 20% posts by promotion from Chief Head Warder.

6. **Qualification.—(1) Educational qualification:-** Graduate from any university which is recognised by the Central/State Government (both for direct recruitment and appointment by promotion).

(2) Age: Age limit for direct recruitment to be as follows or as may be prescribed by the State Government from time to time.

(a) General Category – 20 to 37 years

(b) Backward classes/extremely backward classes (Male-Female) – 20 to 40 years

(c) Women (unreserved, backward classes and extremely backward classes – 20 to 40 years

(d) Scheduled Casts/Scheduled Tribe (Male-Female) – 20 to 42 years.

Explanation.—The candidates of reserved category from other states will be treated as candidates of general category and accordingly the age limit for them shall be the same as applicable to the general category candidates.

7. **Grounds and method of appointment.—**There shall be three sources of appointment to the post of Assistant Jailor:-

1. Direct recruitment by the commission;
2. Appointment from ex-servicemen;
3. Appointment by promotion from the post of Chief Head Warder.

(i) 50% posts shall be filled by the Commission through direct recruitment.

(ii) The appointment of 30% posts shall be made from ex-servicemen.

(iii) 20% posts shall be filled from the list of employees working to the posts of chief Head Warder in the different levels of Jails in the state on the basis of their service history, medical test and seniority.

Explanation**.—**If the determined number of candidates are not available for the 30% posts fixed for ex-servicemen as mentioned in para (ii) in the calendar year, these posts may be filled by direct recruitment in that calendar year in accordance with para (i).

1. Direct recruitment through the commission-

(i) 50% posts of Assistant Jailor out of the posts sanctioned and created by the state government from time to time shall be filled by direct recruitment. The direct recruitment on these posts shall be made of the basis of the recommendation of the Commission. The Commission shall publish an advertisement as per prescribed process after receiving intimation from the Inspectorate of Jails regarding the vacancies.

(ii) Procedure for direct recruitment – The procedure for direct recruitment shall be in following stages:-

(a) First stage**—**Firstly, a written examination shall be conducted by the Bihar Staff Selection Commission.

(b) Second Stage—The physical fitness test shall be conducted by the board, constituted under the prescribed provisions.

(c) Third stage—The medical test shall be conducted by a medical institution as directed by the Inspectorate of jails or by a medical team constituted by the Inspectorate of jails. The medical team must be consisting a lady doctor. Final selection shall be made on the basis of written examination, physical fitness test and medical test.

Detailed instruction for direct recruitment, physical fitness test and medical test are mentioned in Appendix – 'A'

(iii) The commission shall prepare a list of candidates five times more than the grade wise communicated vacancies for Physical Fitness Test. The Physical Fitness Test shall be conducted by a Board comprising the following members:-

(a) Inspector General of Prisons	- Chairman
(b) Joint Secretary-cum-director (Admin.)	- Member
(c) Representative of Home Department (Not below the rank of Deputy Secretary)	- Member
(d) One scheduled caste/ scheduled tribe officer of Bihar Prison Service nominated by Home Department	- Member
(e) Leut. Colonel authorised by Commanding Officer Jharkhand-Bihar Sub Area Head Quarter Danapur	- Spl. Invitee Member

(Member of Sub column-III (e) will be only for the selection Board of retd. Junior Commissioned Officer /Non Commissioned Officer)

The standard of physical fitness test are given in Appendix-'A'.

(iv) The Physical fitness Test shall only be of qualifying nature and the successful candidates in Physical Test shall be recommended for appointment on the basis of merit list of the written examination.

(v) If adequate numbers of candidates do not succeed in Physical fitness Test and Medical Test as per the number of vacancies from the list of candidates five times more then the vacancies once again the list of the candidates five time, more then the remaining vacancies shall be prepared by the Bihar Staff Selection Commission and the procedure mentioned above to be repeated.

(vi) Medical Examination:- The candidates qualifying the physical fitness Test shall be subject to the Medical Test, Their suitability shall be evaluated in accordance with the standard mentioned in Annexure-'A' and the candidates to be appointed only being declared medically fit.

The Appointing Authority shall have the jurisdiction to accept or reject the candidature of any candidate from the list recommended by the commission after considering the report of medical test.

2. Appointment from ex-servicemen:-

(i) The appointment on 30% posts shall be made from the retired military personnel by inviting applications.

(ii) Appointment shall be from retired junior commissioned officers/non commissioned officers of the Army.

(iii) For appointment from this grade the maximum age limit shall be 50 years.

(iv) For appointment from ex-servicemen the applications shall be invited by Inspectorate of Jails by publishing an advertisement After Scrutiny and sorting of applications received as per rule in conformity with the conditions mentioned in the advertisement a written examination, if necessary of the basis of their number, may be conducted by the Inspectorate of Jails. The selected candidates shall be medically tested and to be appointed only on being medically fit.

3. Appointment by promotion from Chief Head Warder:-

(i) The appointment of 20% posts from the personnel working on the posts of Chief Head Warder shall be made on the basis of their service history, medical test and seniority.

(ii) The minimum educational qualification for appointment by promotion to the post of Chief Head Warder shall be a graduate.

(iii) The provisions of Bihar Reservation Act, applicable from time to time, shall be applicable to the appointments by promotion and this benefit to be admissible to only the permanent residents of the state of Bihar.

8. **Probation Period.—**The probation period of newly appointed employees shall be for two years from the date of their first appointment of this post. The probation period may be extended for one year if the service is not found satisfactory during, the probation period. If the service is found to be unsatisfactory even in the extended period he/she may be removed from service.

9. **Confirmation.—**After the satisfactory completion of the probation period and success in the departmental examination the service shall be confirmed by the Inspector General of Jail.

10. **Pay Scale.—**The prescribed pay scale for the cadre as notified by the State Government from time to time and other allowances accordingly shall be admissible.

11. **Seniority.—**(i) The seniority of Assistant Jailors appointed by way of direct recruitment shall be determined on the basis of the merit list issued by the Commission.

(ii) The seniority of Assistant jailor appointed by promotion shall be determined in accordance with the provisions prescribed by the General Administrative Department.

12. **Status of the cadre.—**The Cadre shall be placed in class 'C' or otherwise in accordance with the classification issued from time to time by the State Government. It shall be a State level cadre.

13. **Discipline, Appeal and penalties.—**The provisions of Bihar Government Servant (Classification control and appeal) Rules 2005 as amended from time to time shall be applicable to all the members of this cadre.

14. **Saving and repeal.—(1)** All rules resolutions/circulars/orders notified and applicable for posts of Assistant jailor cadre prior to the date of commencement of

these Rules and Bihar Assistant Jailor Cadre Rules, 2010 shall deemed to be repealed.

(2) Not with standing such repeal, any thing done or any action taken in exercise of the powers conferred by or under the said Rules/Resolutions/Circulars/Order shall deemed to be done or taken under these Rules as if, these rules were in operation on the day when such thing was done or such action was taken.

15. **Removal of Difficulties. -**The powers to remove the difficulties arising with regard to the applicability of any provision or rules of these rules shall be remained by the Inspectorate of Jails with the approval by the state government.

By order of the Governor of Bihar,
LAXMI PRASAD CHAUHAN,
Joint Secretary-Cum-Director (Admin.).

Appendix 'A'

The Commission shall conduct an examination for the post of Assistant Jailor and prepare merit list in proportion of vacancies and it shall send its recommendation for the post of Assistant jailor.

The Commission after conducting the Examination shall prepare list of Assistant Jailor on the basis of candidature and reservation wise to be forwarded to the Board constituted for physical fitness test.

A Written examination:-

(1) The written examination will be conducted by the Commission.

(2) The question papers will be bilingual (Hindi and English) and of objective type.

(3) There will be three question papers .

(i) First paper—It shall consist two parts *i.e.* English and Mathematics. The paper shall be compulsory and to the level of Matriculation and nature, number of questions and the period of time to be determined by the Commission.

(ii) Second paper—In this paper the question from General Knowledge of graduate level shall be asked.

(iii) Third paper—The paper shall be optional and the questions to be asked from the subject of Social Science and Psychology both. The candidate shall have an option to select any one subject as a third paper out of the said subjects. The option to be mentioned in the application form by the candidate.

(iv) The number of questions, nature of the questions and the period of time shall be determined by the Commission.

(v) However, with the approval of Home Department, if the Commission decides, due to administrative reasons, to make selections along with other services through the Combined Competitive Examination then the prescribed syllabus for the Combined Competitive Examination shall be deemed to be the syllabus for selection to this post also.

(vi) On the basis of written examination the Commission shall prepare a list of candidates five times more then the grade wise vacancies communicated and send it to the Inspector General of Jails, Bihar to test the Physical fitness.

(B) Physical Fitness:

1. The examination of physical fitness of candidates recommended category wise by the Commission against the vacancies will be held by the Board. The candidates must be fit in accordance with the prescribed physical standard briefly given below:

2. **Standard of Physical Fitness Test Before the Board:-**

(i) The candidate should physically and mentally be healthy and they should be free from such diseases/disabilities that may hamper their efficiency.

(ii) They should not be physically weak and suffering from physical bulkiness as well as knocking knee and flat foot.

(iii) Minimum height for male (General Category, Backward Classes, Extremely Backward Classes) must not be less than 165 cm and for those of Scheduled caste/tribe must be not be less than 160 cm.

(iv) Minimum height for Female must not be less than 160cm and weight must not be less than 48kg.

(v) It is advised to candidates in their own interest that they should get to do preliminary medical test for ear-wax, refractory deformation of eye, fungus infection of skin etc. on their own before reporting for the physical fitness test.

(vi) The chest should be well developed and minimum 81 cm in measurement and for those of scheduled caste/tribe it should be minimum 79cm. After taking full deep breath, the expanded chest be minimum 86cm in measurement and for those of SC/ST minimum 84 cm in measurement. It will be so measured with tape so that its lower edge should touched the nipple in front and the upper part of the tape to touch the lower of the shoulder blade behind.

(vii) Running – 1 miles within 6 minutes.

(viii) High Jump – minimum 4 feet (For all male candidate)

(ix) Long Jump – minimum 12 feet (For all male candidate)

(x) Beam – five pull up (three chances to be given)- (For all male candidate)

(xi) shot put 16 pounds – minimum 16 feet (For all male candidate)

Physical fitness test will be qualifying only.

(C) Medical Test:-

1. **For direct recruitment —**

(i) The candidate should not have any symptom of knocking knee and flat foot.

(ii) The candidate should be hearing normally. The Candidate should be capable of hearing sharp whisper in a quite room from a distance of 6'10" with each ear.

(iii) If a candidate is suffering from hernia/hydroceel, his candidature will be considered after it has been operated.

(iv) The candidate should not be suffering from any serious ophthalmic diseases. The vision with glass or without glass should be 6/6 and he should not have night blindness or colour blindness.

2. Standard of medical test for appointment from ex-servicemen and chief senior warder to Assistant Jailor-

(i) The candidate should not have any symptom of knocking knee and flat foot.

(ii) The candidate should be hearing normally. The Candidate should be capable of hearing sharp whisper in a quite room from a distance of 6'10" with each ear.

(iii) If a candidate is suffering from hernia/ hydroceel, his candidature will be considered after it has been operated.

(iv) The candidate should not be suffering from any serious ophthalmic diseases. The vision with glass or without glass should be 6/6 and he should not have night blindness or colour blindness.

(D) Provisions relating to the candidates from ex-servicemen:-

The word ex-servicemen means the person who have served in regular army, navy or air force (whether as combatant or non combatant) in any rank, provided that, it does not include those who have worked in Defence Security Core, General Reserve Engineering Force, Public Auxiliary Force, Paramilitary Force or

(a) Those who have retired after receiving pension, or

(b) Those who have been discharged from such service on the basis of health standard applicable for the military service or in circumstance beyond their control and sanctioned medical or invalid pension, or

(c) Those who have been discharged from such service otherwise than his request owing to the service being reduced, or

(d) Those who have been removed from such service on their own request or after completion their service conditions otherwise than the dismissal or discharge due to misbehavior or lack of proficiency and have been granted gratuity and it includes the personnel of following categories of Territorial Army:-

(i) Pension holders having continuous service

(ii) Disability pension holders on the basis of the standard of military service.

(iii) Gallantry award winner.

Explanation:- The persons working in the Armed Forces of Union who shall come into the category of ex-servicemen after retirement may be permitted to apply for re-employment one year prior to completion of their tenure any they may take advantage of available concessions for ex-servicemen provided that they will not permitted to retired before completing their tenure.

The working employee to be retire from military service prior to the last date of making application for advertised vacancies shall be eligible for applying under said advertisement.

(e) Such ex-servicemen who are matriculate and have served continuously for 15 years shall also deemed to be eligible for such posts required qualification for which is university degree and they shall have to submit a certificate to that effect from the Army.

(f) Relaxation in upper age limit for ex-servicemen shall be three years or more beyond the periods of service in the Defence Services, provided they have completed at least 6 months of authenticated service.

(g) Ex-servicemen shall have to appear only in medical test and they will be completely exempted from physical fitness test and educational qualification.

(h) The application for recruitment from ex-servicemen shall be invited through advertisement by Inspectorate of Jail. A screening test (written examination) shall be conducted by appointing authority on his own discretion if the numbers of applications received are more than the available vacancies and the suitable candidates to be selected from them. Written examination shall have one question paper in which questions from Math, General Knowledge and General Hindi to be asked.

(i) In case of any dispute the claim relating to appointment of ex-servicemen shall be settled under the provisions of Reemployment Rules, 1979 for ex-servicemen (In Central Civil Service and of posts).

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 54-571+200-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in